न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 13 / 2016

जीसीएमएस– 2014 / 00032

दायर दिनांक– 30.01.2014

निर्णय दिनांक– 15.11.2021

अनवानः–

श्री कालुराम दत्तक पुत्र स्व0 श्री देवकरण (मृतक) जरिये वारिसान

1. श्रीमती सरजू देवी पत्नी स्व. श्री कालुराम
2. श्री घीसूलाल पुत्र स्व0 श्री कालुराम
3. सुश्री रेखा पुत्री स्व. श्री कालुराम जाति माली ग्राम बांसेली समस्त जाति माली निवासीगण बांसेली तहसील पुष्कर (अजमेर)
4. श्रीमती मूमल पुत्री स्व. श्री कालूराम पत्नी श्री लालचंद जाति माली निवासी दादाबाड़ी ब्यावर (अजमेर)
5. श्रीमती झूमल पुत्री स्व. श्री कालूराम पत्नी श्री सत्यनारायण जाति माली निवासी भील कॉलोनी, ब्यावर (अजमेर)
6. श्रीमती गीता पुत्री स्व. श्री कालुराम पत्नी श्री दयाल जाति माली निवासी धोलाभाटा, अजमेर
7. श्रीमती सीमा पुत्री स्व. श्री कालुराम पत्नी श्री कन्हैयालाल जाति माली निवासी पंचकुण्ड रोड़ पुष्कर (अजमेर)
8. श्रीमती मधु पुत्री स्व. श्री कालुराम पत्नी श्री गोविन्दराम जाति माली निवासी मालियो की बाड़ी किशनगढ़ (अजमेर)
9. श्रीमती ललिता पुत्री स्व. श्री कालूराम पत्नी श्री जयसिंह जाति माली निवासी चावण्डिया तहसील पुष्कर (अजमेर)

– वादीगण

बनाम

1. श्री लालचंद पुत्र स्व. श्री शिवराज
2. श्री कैलाश पुत्र स्व. श्री शिवराज
3. श्रीमती बेबी पुत्री श्री शिवराज
4. श्रीमती जसोदा पत्नी स्व. श्री शिवराज समस्त जाति माली निवासीगण बांसेली तहसील पुष्कर (अजमेर)
5. श्रीमती रामकंवर धर्मपत्नी श्री कानसिंह चौहान जाति राजपूत निवासी बांसेली तहसील पुष्कर (अजमेर)
6. श्री धारा सिंह पुत्र स्व. श्री लादूसिंह राव जाति राव निवासी बांसेली तहसील पुष्कर (अजमेर)
7. श्री छोटूसिंह पुत्र स्व. श्री रूपा जाति रावत निवासी बागोलाई (देवनगर) तहसील पुष्कर (अजमेर)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

– प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:32:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

वादपत्र बाबत इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति– 1.श्री एन.एस.राजावत, वादीगण अभिभाषक।
2.पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार,पुष्कर
3.श्री एस.के.व्यास, श्री मदनपुरी गोस्वामी
प्रतिवादीगण सं. 1–6, अभिभाषक

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी के दत्तक पूर्वज की सहखातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि ग्राम बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित है तथा चौसाला जमाबंदी के खसरा सं0 333 रकबा 03–08–00 बीघा तथा वर्किंग खसरा सं0 458 एवं वर्तमान संवत् 2068–2071 में लागू राजस्व अभिलेख के खसरा सं0 143 रकबा 0.11 है0, 144 रकबा 0.10 है0, 149 रकबा 0.20 है0, 150 रकबा 0.23 है0 में 1/2 हिस्से का खातेदार वादी को घोषित करने व आराजीयात का विभाजन तथा वर्तमान अभिलेख में अंकित प्रविष्टि को दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया।

यह है कि वादीगण ग्राम बांसेली में स्थित कृषि भूमि जो खाता सं0 337 नया जमाबंदी संवत् 2068–2071 में खसरा सं0 143 रकबा 0.11 है0, 144 रकबा 0.1 गै.मु.चाह, 149 रकबा 0.20 है0, 150 रकबा 0.23 है0 जिसके वर्किंग खसरा सं0 458 रकबा 03–08–00 बीघा अंकित था जो वादी के बुजुर्गों की भूमि है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है इस कारण यह वाद इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत कर रहा है। जमाबंदी संवत् 2015–2018 में खाता सं0 65 में खसरा सं0 333 रकबा 03–08–00 बीघा भूमि श्योकरण वल्द मादू व फूला वल्द श्योबक्स के नाम दर्ज थी तथा श्योकरण वल्द मादू के वारिसान लीलावती व शिवराज के फौत होने पर प्रतिवादी सं0 1 से 4 उनके वारिसान है तथा फूला वल्द श्योबक्स के गोद पुत्र देवकरण था तथा देवकरण का गोदपुत्र वर्तमान वादी है। खसरा सं0 333 रकबा 03–08–00 बीघा जो जमाबंदी संवत् 2015–2018 में अंकित है जिसमें श्योकरण वल्द मादू व फूला वल्द श्योबक्स का बराबर–बराबर हिस्सा था उक्त भूमि बाबत बिना किसी आधार के मनमाने तौर पर एक नामान्तकरण सं0 42 दिनांक 14.12.60 को तस्दीक कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में श्योकरण वल्द मादू को फूला के हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:32:56 IST
Reason: SelfAttested

15.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

भूमि बाबत् भी फूला का नाम विलोपित कर खातेदार अंकित कर दिया गया, उक्त नामा0 सं0 42 पूर्णतया अवैध है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अजमेर में लागू होने के उपरांत तत्समय अर्थात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के समय फूला वल्द श्योकरण खसरा सं0 333 की भूमि का खातेदार अंकित चला आ रहा था तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के उपरांत फूला वल्द श्योकरण इस भूमि के खातेदार काश्तकार अंकित किया गया था बिना किसी कारण के प्रविष्टि परिवर्तित की गई है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के किसी प्रावधान का समर्थन प्राप्त नहीं है अर्थात् नामा0 42 के द्वारा जो प्रविष्टि परिवर्तित की गई है, वह पूर्णतया अवैधानिक है तथा वादी इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से दिनांक 10.04.2014 को श्री एस0के0व्यास एवं मदनपुरी गोस्वामी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 29.10.2015 को वादी अभि0 द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 जा0दी दिनांक 22.07.2015 एवं आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 दिनांक 22.07.2015 को स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया। दिनांक 05.03.2021 को उभयपक्ष अभि0 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुना गया तथा प्रार्थना–पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया गया। दिनांक 12.03.2021 को वादी अभि0 द्वारा संशोधित वाद शीर्षक पेश किया गया, जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 द्वारा शपथपत्र के साथ दिनांक 03.07.2014 को जवाब दावा पेश किया गया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आज दिवस तक किसी भी प्रकार का कोई भौतिक धारण/कब्जा नहीं है तथा वादीगण द्वारा किसी भी प्रकार का सत्यापित गोदनामा पेश नहीं किया गया है।

इस प्रकरण में वादीगण के दावा एवं प्रतिवादीगण के जवाबदावा एवं अभिवचनों व दस्तावेजों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया विवादित आराजी वादीगण के पैतृक संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की होने से 1/2 हिस्से की इन्द्राज दुरुस्ती करवाते हुए हक खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है?

.....जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण विवादित आराजीयान का विधिक विभाजन करवाये जाने के अधिकारी है?

.....जिम्मे वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:32:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

3. आया वादीगण 1/2 हिस्से की भूमि बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

..........जिम्मे वादीगण

4. आया वादीगण स्व0 श्री देवकरण के विधिक वारिसान नहीं होने से वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने की लोकस नहीं रखते है?

..........जिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया विवादित आराजी के संबंध पक्षकारान के मध्य पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री के तहत् वाद–पत्र रेसज्यूडिकेटा से बाधित होने के कारण खारिज योग्य है?

..........जिम्मे प्रतिवादीगण

6. आया वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं होने से वाद पत्र खारिज योग्य है?

..........जिम्मे प्रतिवादीगण

7. अनुतोष ?

तनकीयात कायम करने के बाद वादीगण की ओर से सरजू देवी पत्नी स्व0 श्री कालूराम पुत्रवधू स्व0 श्री देवकरण जाति माली के साक्ष्य शपथ–पत्र पी. डब्ल्यू 01 पेश किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी ग्राम बांसेली तहसील पुष्कर सम्वत् 2015–18 प्रदर्श 1, नकल वर्किंग जमाबन्दी ग्राम बांसेली प्रदर्श 2 व नकल चौसाला जमाबन्दी ग्राम बांसेली सम्वत् 2068–71 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। वादीगण की ओर से दिनांक 26.03.2021 को वादी की जिरह बंद की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में लालचन्द पुत्र स्व0 श्री शिवराज जाति माली के साक्ष्य शपथ–पत्र डी.डब्ल्यू 01 (दिनांक 07.04.2021) बयान करवाए गये। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ–पत्र डी.डब्ल्यू 2 पेश किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी ग्राम बांसेली सम्वत् 2023–26 डी.डब्ल्यू 1, जमाबन्दी प्रपत्र सं. पी. 21 डी.डब्ल्यू 2 व जमाबन्दी सम्वत् 2041–2041 ग्राम बांसेली डी.डब्ल्यू 3, प्रदर्शित करवाये। शेष प्रतिवादी साक्ष्य/जिरह प्रतिवादी अभिभाषक के निवेदन पर बन्द की गई। पत्रावली दिनांक 08.10.2021 को लिखित बहस हेतु नियत की गई जिसके अनुपालन में 22.10.2021 को वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:32:56 IST
Reason: SelfAttested

15.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

अभिभाषक वादीगण ने अपनी लिखित बहस द्वारा निवेदन किया कि:–

1. वादीगण द्वारा ग्राम बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित है तथा चौसाला जमाबंदी के खसरा सं0 333 रकबा 03–08–00 बीघा तथा वर्किंग खसरा सं0 458 एवं वर्तमान संवत् 2068–2071 में लागू राजस्व अभिलेख के खसरा सं0 143 रकबा 0.11 है0, 144 रकबा 0.1 है0, 149 रकबा 0.20 है0, 150 रकबा 0.23 है0 में 1/2 हिस्से का खातेदार वादी को घोषित करने तथा वर्तमान अभिलेख में अंकित प्रविष्टि को दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया।
2. वाद पत्र की चरण सं0 01 में वर्णित भूमि चौसाला खसरा नं 333 रकबा 03–08–00 बीघा जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 के खाता सं0 65 प्रदर्श पी–1 में किये गये इन्द्राज के अनुसार श्योकरण वल्द मादू व फूला वल्द श्योबक्श के नाम दर्ज थी, इस प्रकार प्रत्येक का 1/2 व 1/2 हक हिस्सा निहित करता है।
3. यह है कि 1/2 के सहखातेदार श्योकरण वल्द मादू के विधिक वारिसान लीलावती पत्नी स्व0 श्री श्योकरण हुए जिनके स्वर्गवास के पश्चात् होकर अविभाजित 1/2 हिस्सा विधि अनुकूल निहित करता है।
4. इसी प्रकार शेष 1/2 हिस्से के सहखातेदार फूला वल्द श्योबक्श के स्वर्गवास पश्चात् उनका अविभाजित 1/2 हिस्सा जरिये विरासत स्व0 श्री फूला के दत्तक पुत्र देवकरण मुतबन्ना स्व0 श्री फूला हुआ, तथा देवकरण का नाऔलाद स्वर्गवास हो जाने से वादी श्री कालूराम दत्तक पुत्र होकर 1/2 हिस्से का खातेदार काबिज काश्त हुआ जिसका वाद के विचाराधीन दिनांक 14.11.2015 को स्वर्गवास हो जाने से वर्तमान वादीगण विधिक वारिसान होकर 1/2 हिस्से के खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं।
5. वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमियां चौसाला जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 के खाता सं0 65 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के पूर्वाधिकारी श्री श्योकरण वल्द मादू व फूला वल्द श्योबक्श के नाम 1/2, 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज होने के उपरांत भी राजस्व एजेंसी द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत मनमाने रूप से पूर्व प्रविष्टियों को परिवर्तित कर विधि विरूद्व रूप से नामा0 सं0 42 दिनांक 14.12.1960 स्वीकृत कर स्व0 श्री फूला वल्द श्योबक्श का नाम विलोपित कर दिया गया, इस कारण विधि विरूद्व नामा0 सं0 42 दिनांक 14.12.1960 एवं उसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में किये गये खातेदारी इन्द्राज को निरस्त/विलोपित तथा दुरूस्त किया जाकर, वादीगण को आराजी मुतनाजा में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने की घोषणात्मक आज्ञाप्ति पारि फरमाई जावें।

15.11.24

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:32:56 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्रतिवादीगण ने अपनी लिखित बहस में बताया किः–

1. वादग्रस्त आराजी खाता सं0 37 खसरा नंबरान 143, 144, 149, 150 जमाबंदी संवत् 2068–2071 के अनुसार प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर आज दिन तक कोई भौतिक कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा वादीगण ने उक्त वाद झूठे एवं मनगढन्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं होकर काबिल निरस्तनीय है।
2. वादीगण ने वाद–पत्र में वादीगण के पिता देवकरण को फूला पुत्र श्योबक्श के गोद जाना बताया है तथा स्वयं को देवकरण का गोद पुत्र होना अंकित किया है जबकि वादी ने अपने वाद पत्र के साथ ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे सिद्व होता हो कि देवकरण फूला पुत्र श्योबक्श के कभी गोद गया हो तथा वादी स्वयं कब व किस दिनांक को देवकरण के गोद गया यह भी वादी द्वारा सिद्व नहीं किया गया।
3. वादी ने अपने वाद पत्र में नामा0 सं0 42 दिनांक 14.12.1960 को अवैध होना बताया है जबकि वादी ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करवाई जिससे सिद्व होता हो कि उक्त नामा0 सं. 42 दिनांक 14.12.1960 अवैध हो तथा उक्त नामा0 को वादी के तथाकथित पिता देवकरण द्वारा भी अपने जीवनकाल में चुनौती नहीं दी गई।
4. वादी के पिता देवकरण पुत्र रामसुख थे जिनकी विरासत वादी के नाम जरिये नामा0 सं0 81 दिनांक 22.05.1992 को तस्दीक की जाकर वादी का नाम वर्किंग जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया जिससे स्पष्ट होता है कि वादी के पिता देवकरण कभी भी फूला पुत्र श्योबक्श के ना ही कभी गोद गये ना ही फूला पुत्र श्योबक्श ने वादी के पिता को कभी गोद लिया। वादी अपने प्राकृतिक पिता देवकरण पुत्र रामसुख से विरासत में प्राप्त समस्त आराजी का उपयोग उपभोग कर रहा है
5. वादग्रस्त आराजी के संबंध में विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर द्वारा श्रीमती लीलावती बनाम पुखा में निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.1984 बेदखली हेतु पारित की गई जो निर्णय व डिक्री राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर तक यथावत् रही तथा इजराय सं0 2/1988 में पारित आदेश की पालना में वादी द्वारा जो वादग्रस्त भूमि के आंशिक भाग पर कब्जा कर रखा था वह भी प्रतिवादीगण को दिनांक 26.02.2014 को सौंपा दिया गया।
6. वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है जिसमें से प्रतिवादीगण द्वारा कुछ आराजी का बेचान प्रतिवादीगण सं0 5 लगायत 10 के हक में किया जाकर कब्जा संभला

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:32:56 IST
Reason: SelfAttested

15.11.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

दिया गया है। प्रतिवादीगण सं0 5 लगायत 10 अपनी क्रयशुदा भूमि पर वर्तमान में बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा उक्त शेष वादग्रस्त आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 के पूर्वज श्योकरण पुत्र मादू की समाधि स्थल बनी हुई है। दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण ने न्यायिक दृष्टान्त RBJ(19) 2012 Reference No. 1918/2003/LR/Bharatpur IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER State of Rajasthan Vs Navi Khan Page No. 193 to 196 एव RRT 2011/2 Page No. 1337 to 1340 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER Naresh Prajapat and Others Vs Kishan Lal and Others Appeal Decree TA No. 6168/Kota of 2006 Date 21.12.2010 प्रस्तुत किया एवं अपने–अपने अभिकथनों को दोहराया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

हमनें उभयपक्ष अभिभाषक की लिखित बहस के आधार पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजों का बगौर अध्ययन किया। उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा की गई लिखित बहस पर मनन किया जाकर तनकीवार निर्णय इस प्रकार हैः–

तनकी नं0 1:– उक्त तनकी को साबित करने का भार सबुत वादीगण पर था जिसके संबंध में प्राप्त साक्ष्य के विवेचन करने से यह साबित होता है कि संलग्न चौसाला जमाबंदी के खसरा नं0 333 रकबा 03–08–00 बीघा में श्योकरण वल्दू मादू व फूला वल्द श्योबक्श का 1/2–1/2 हिस्सा निहित था। नामा0 सं0 42 दिनांक 14.12.1960 के माध्यम से श्योकरण वल्द मादू के नाम तस्दीक हुआ। परंतु वादीगण के द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का ऐसा कोई गोदनामा पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि वादीगण फूला वल्द श्योबक्श की दत्तक संतान है और ना ही वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का वर्तमान में किसी भी प्रकार का भौतिक कब्जा है। खाता सं0 नया 40 पुराना 35 खातेदार देवकरण विशना पुखा पुत्रगण रामसुख हिस्सा 1/2 जाति माली निहित है। विरासत नामा0 सं0 80 दिनांक 22.05.1992 देवकरण वल्द रामसुख के बजाय कालू वल्द देवकरण कौम माली के नाम नामा0 स्वीकार हुआ। नामा0 सं0 292 दिनांक 05.07.2003 खसरा नं0 130 रकबा 01–03–00 बीघा में से 555.55 वर्ग गज विक्रेता कालू देवकरण हकमा पुत्र बिसना नानी पत्नी पुखा जंवरी रेवा पुत्र पूखा कौम माली हिस्सा 1/4 में से [illegible] सूर्यनारायण गहलोत पुत्र भंवरलाल जाति माली के नाम अंकन स्वीकार हुआ। इससे यह साबित होता है कि वादी अपने जैविक पिता की संपत्ति को 05.07.2003 को बेचान कर रहा था, जिसका वादी को गोदपुत्र होने के नाते कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी सं. 01 का निर्णय वादीगण के विरूद्व व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:32:56 IST
Reason: SelfAttested

15/11/21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

तनकी नं0 2 एवं 3 :– तनकी सं. 02 व 03 को साबित करने का भार सबुत वादीगण पर है जिसके संबंध में तनकी नं0 1 के आधार पर वादीगण को विभाजन आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं पाया जाता है। इस प्रकार उक्त तनकी सं. 02 व 03 वादीगण के विरूद्व एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4:– तनकी सं. 04 को साबित करने का भार सबुत प्रतिवादीगण पर है जिसके संबंध में वादीगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सत्यापित गोदनामा पेश नहीं होने के कारण वादीगण को फूला वल्द श्योबक्श का विधिक वारिसान नहीं माना जा सकता है। जिससे वादग्रस्त आराजी में उनकी किसी भी प्रकार की खातेदारी नहीं बनती है अतः वादीगण वाद–पत्र प्रस्तुत किये जाने की लोकस नहीं रखते है। इस प्रकार उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5:– तनकी सं. 05 को साबित करने का भार सबुत प्रतिवादीगण पर है जिसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर द्वारा लीलावती बनाम पुखा में निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.1984 बेदखली हेतु पारित की गई जो निर्णय व डिक्री राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर तक यथावत रही तथा इजराय सं0 2/1988 में पारित आदेश की पालना में वादी द्वारा जो वादग्रस्त भूमि के आंशिक भाग पर कब्जा रखा था वह भी प्रतिवादीगण को दिनांक 26.02.2014 को संभला दिया गया, जो प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णय किया गया। अतः विवादित आराजी के संबंध पक्षकारान के मध्य पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री के तहत् वाद–पत्र रेसज्यूडिकेटा से बाधित होने के कारण खारिज योग्य है। इस प्रकार उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 6:– तनकी सं. 06 को साबित करने का भार सबुत प्रतिवादीगण पर है जिसके संबंध में वादीगण का वादग्रस्त आराजियात पर वर्तमान में किसी भी प्रकार का भौतिक कब्जा नहीं होने के कारण वाद–पत्र खारिज करने योग्य है। इस प्रकार उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:32:56 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं0 7:– इस तनकी में दादरसी पर विचार किया जायेगा।

15.11.24
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने देवकरण के गोदपुत्र होने के आधार पर वादग्रस्त आराजियात का विभाजन तथा राजस्व अभिलेख में अंकित प्रविष्टि को दुरूस्त करवाना चाहा है लेकिन वादी के द्वारा ऐसा कोई पंजीकृत गोदनामा या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए बिना किसी पंजीकृत गोदनामा या दस्तावेज के कोई अधिकार वादीगण को प्राप्त नहीं हो सकते है।

उपर्युक्त समस्त तनकीवार विश्लेषण, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अभिभाषक उभयपक्ष की बहस के आधार पर ग्राम बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित आराजीयात चौसाला जमाबंदी के खसरा सं0 333 रकबा 03–08–00 बीघा तथा वर्किंग खसरा सं0 458 एवं वर्तमान संवत् 2068–2071 में लागू राजस्व अभिलेख के खसरा सं0 143 रकबा 0.11 है0, 144 रकबा 0.1 है0, 149 रकबा 0.20 है0, 150 रकबा 0.23 है0 में 1/2 हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित करने व आराजीयात का विभाजन तथा वर्तमान अभिलेख में अंकित प्रविष्टि को दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 15.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर0ए0एस)
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:32:56 IST
Reason: SelfAttested

–:: पर्चा–डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 13 / 2016

जीसीएमएस– 2014 / 00032

दायर दिनांक– 30.01.2014

निर्णय दिनांक– 15.11.2021

अनवानः–

श्री कालुराम दत्तक पुत्र स्व0 श्री देवकरण (मृतक) जरिये वारिसान

1. श्रीमती सरजू देवी पत्नी स्व. श्री कालुराम
2. श्री घीसूलाल पुत्र स्व0 श्री कालुराम
3. सुश्री रेखा पुत्री स्व. श्री कालुराम जाति माली ग्राम बांसेली
   समस्त जाति माली निवासीगण बांसेली तहसील पुष्कर (अजमेर)
4. श्रीमती मूमल पुत्री स्व. श्री कालूराम पत्नी श्री लालचंद
   जाति माली निवासी दादाबाड़ी ब्यावर (अजमेर)
5. श्रीमती झूमल पुत्री स्व. श्री कालूराम पत्नी श्री सत्यनारायण
   जाति माली निवासी भील कॉलोनी, ब्यावर (अजमेर)
6. श्रीमती गीता पुत्री स्व. श्री कालुराम पत्नी श्री दयाल
   जाति माली निवासी धोलाभाटा, अजमेर
7. श्रीमती सीमा पुत्री स्व. श्री कालुराम पत्नी श्री कन्हैयालाल
   जाति माली निवासी पंचकुण्ड रोड़ पुष्कर (अजमेर)
8. श्रीमती मधु पुत्री स्व. श्री कालुराम पत्नी श्री गोविन्दराम
   जाति माली निवासी मालियो की बाड़ी किशनगढ़ (अजमेर)
9. श्रीमती ललिता पुत्री स्व. श्री कालूराम पत्नी श्री जयसिंह
   जाति माली निवासी चावण्डिया तहसील पुष्कर (अजमेर)

– वादीगण

बनाम

1. श्री लालचंद पुत्र स्व. श्री शिवराज
2. श्री कैलाश पुत्र स्व. श्री शिवराज
3. श्रीमती बेबी पुत्री श्री शिवराज
4. श्रीमती जसोदा पत्नी स्व. श्री शिवराज
   समस्त जाति माली निवासीगण बांसेली तहसील पुष्कर (अजमेर)
5. श्रीमती रामकंवर धर्मपत्नी श्री कानसिंह चौहान
   जाति राजपूत निवासी बांसेली तहसील पुष्कर (अजमेर)
6. श्री धारा सिंह पुत्र स्व. श्री लादूसिंह राव
   जाति राव निवासी बांसेली तहसील पुष्कर (अजमेर)
7. श्री छोटूसिंह पुत्र स्व. श्री रूपा
   जाति रावत निवासी बागोलाई (देवनगर) तहसील पुष्कर (अजमेर)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:32:56 IST
Reason: SelfAttested

15.11.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

– प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के समक्ष अभिभाषक वादीगण श्री एन.एस. राजावत एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण श्री एस.के. व्यास व मदनपुरी गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर ग्राम बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित आराजीयात चौसाला जमाबंदी के खसरा सं0 333 रकबा 03–08–00 बीघा तथा वर्किंग खसरा सं0 458 एवं वर्तमान संवत् 2068–2071 में लागू राजस्व अभिलेख के खसरा सं0 143 रकबा 0.11 है0, 144 रकबा 0.1 है0, 149 रकबा 0.20 है0, 150 रकबा 0.23 है0 में 1/2 हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित करने व आराजीयात का विभाजन तथा वर्तमान अभिलेख में अंकित प्रविष्टि को दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 15.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

15.11.21

सुखाराम पिण्डेल
(आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:32:56 IST
Reason: SelfAttested